सं-ई-11011/27/2019/हिंदी (रा.भा.का.स.)/ 126

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग

केन्द्रीय जल आयोग

906(द.), सेवा भवन
रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली - 66

दिनांक: 06 जुलाई, 2020

विषय: अध्यक्ष, के.ज.आ. की अध्यक्षता में केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 29 जून, 2020 को आयोजित 140वीं बैठक का कार्यवृत्त और इसमें लिए गए निर्णयों पर समयबद्ध अनुवर्ती कार्रवाई करने के संबंध में। (Minutes of the 140th Meeting of Official Language Implementation Committee of Central Water Commission (Headquarters) held on 29 June, 2020 and time-bound action on decisions taken therein-reg.)

महोदय/महोदया,

अध्यक्ष, के.ज.आ. की अध्यक्षता में दिनांक 29 जून, 2020 को पूर्वाह्न 11.00 बजे आयोजित केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 140वीं बैठक का कार्यवृत्त आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

अनुरोध है कि उक्त बैठक में लिए गए निर्णयों पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जाए और की गई कार्रवाई से हिंदी अनुभाग, केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) को अवगत करवाया जाए।

संलग्नक : यथोक्त

भवदीया,

06/7/2020

(रजिन्दर पाल)

उप निदेशक (राजभाषा)

दूरभाष सं: 29583720

1. समिति के सभी सदस्य (सूची के अनुसार)।
2. सभी मुख्य अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय जल आयोग।
3. सभी समन्वय निदेशालय/ अनुभाग अधिकारी, केन्द्रीय जल आयोग।

केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 29.06.2020 को पूर्वाह्न 11.00 बजे आयोजित 140वीं बैठक का कार्यवृत्त

अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 29.06.2020 को पूर्वाह्न 11.00 बजे केंद्रीय जल आयोग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 140वीं बैठक आयोजित की गई।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से संयुक्त सचिव महोदय ने सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित अध्यक्ष महोदय एवं सभी सदस्यों का स्वागत किया और बताया कि इस तिमाही के दौरान केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) में धारा 3(3) तथा नियम-5 का पूर्णत: अनुपालन किया गया है और हिंदी टिप्पण में भी निरंतर बढ़ोत्तरी हो रही है। तिमाही के दौरान राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अनुभागों का निरीक्षण एवं कार्यशाला का आयोजन कर अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रेरित किया गया। उन्होने यह भी बताया कि आयोग में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन में सार्थक प्रगति हुई है और आगे भी इसमें निरंतर वृद्धि करने का प्रयास किया जा रहा है। तत्पश्चात, उपनिदेशक (रा.भा.) महोदया को बैठक की मदवार कार्रवाई शुरू करने को कहा।

सदस्य सचिव ने समिति के सदस्यों को बताया कि दिनांक 19.03.2020 को आयोजित की गई पिछली बैठक का कार्यवृत्त परिचालित कर दिया गया था। इस संबंध में इस पर कहीं से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई। अत: कार्यवृत्त की पुष्टि की जा सकती है। समिति के सदस्यों की सहमति से कार्यवृत्त की पुष्टि मान ली गई। इसके बाद, सदस्य सचिव ने पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई से सभी को अवगत करवाया और मद-वार चर्चा शुरू की।

समिति के उपस्थित सदस्यों की सूची अनुबंध 'क' पर संलग्न है।

उक्त बैठक में विचार-विमर्श के पश्चात लिए गए निर्णय निम्नानुसार है:-

1. पिछली बैठक में हिन्दी पोर्टल बनाने के विभिन्न पहलुओं और गुण-दोष पर विस्तृत चर्चा के बाद हिंदी पोर्टल बनाने को स्थगित कर हिंदी रिपोर्ट ई-मेल

के माध्यम से ही मंगवाने का निर्णय लिया गया था और इस मद को समाप्त मान लिया गया था। तथापि निदेशक, पीसीपी ने कहा कि हिन्दी अनुभाग के लिए एक ऐसा इंट्रा-हिन्दी पोर्टल बनाया जाए जहां हिन्दी से संबन्धित परिपत्र, हिन्दी मे काम करने संबंधी गाइडलाइन इत्यादि रखा जाय जिसे यूजर आईडी तथा पासवर्ड से सुरक्षित किया जाय जिससे कि कोई बाहरी व्यक्ति इसे एक्सेस न कर पाए। इस पोर्टल में सभी क्षेत्रीय कार्यालय तथा मुख्यालय के सभी अनुभाग अपनी तिमाही रिपोर्ट डाल सकेंगे। इससे रिकार्ड के लिए ये आंकड़े सुरक्षित रखे जा सकते हैं। इस पर अध्यक्ष महोदय ने पूछा कि क्या इसमें आंकड़ों की गणना ऑटोमैटिक संभव होगी। निदेशक (पीसीपी) ने बताया कि इसके द्वारा केवल रिपोर्ट मंगाई जा सकती है और संग्रहित की जा सकती है जो भविष्य मे काम आएगी परंत आंकड़ों की गणना नहीं हो पाएगी। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो पाएगा। अतः आगे भी तिमाही रिपोर्ट हिंदी अनुभाग के ई-मेल पर ही मंगाई जाए।

(कार्रवाईः एसएमडी निदेशालय/हिंदी अनुभाग)

2. केंद्रीय जल आयोग में कम्प्यूटर पर हिंदी में काम करने को बढ़ावा देने पर चर्चा के दौरान सदस्य, नदी प्रबंध ने कहा कि कम्प्यूटर पर हिंदी में काम करने संबंधी गाइडलाइन उपलब्ध न होने के कारण हिंदी में काम करने में कठिनाई होती है। इस पर संयुक्त सचिव महोदय ने बताया कि सभी कम्प्यूटरों पर हिंदी में काम करने की सुविधा उपलब्ध है जिसका उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि एसएमडी/हिन्दी अनुभाग के कर्मचारी, उन सभी अधिकारियों, जिन्हें हिन्दी में काम करने में कठिनाई हो रही है, से संपर्क कर हिन्दी में काम करने संबंधी टूल्स की जानकारी देंगे।

(कार्रवाईः एसएमडी निदेशालय/हिंदी अनुभाग)

3. केंद्रीय जल आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों के 8 कनिष्ठ हिंदी अनुवादकों के रिक्त पदों के रिवाइवल/सृजन करने संबंधी की गई कार्रवाई पर संयुक्त सचिव ने बताया कि मामला दिनांक 27.11.2019 से जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग में विचाराधीन है और स्थापना-7 को सूचित किया गया है कि फाइल वित्त प्रभाग को भेज दी गई है। सदस्य, नदी प्रबंध ने व्यक्तिगत स्तर पर इस मामले को देखने के लिए कहा ।

(कार्रवाईः हिंदी अनुभाग/स्थापना-7 अनुभाग)

4. क्षेत्रीय कार्यालयों की तिमाही प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान, उप निदेशक (रा.भा.) ने बताया कि चंडीगढ़ कार्यालय के मूल पत्राचार में पिछली बार आई गिरावट को देखते हुए उन्हें पत्र भेजा गया था परंतु इस बार पुन: पहले से अधिक गिरावट देखने में आई है। ऐसा प्रतीत होता है कि कार्यालय द्वारा राजभाषा नीति एवं नियमों के प्रति लापरवाही बरती जा रही है। अध्यक्ष महोदय ने चंडीगढ़ कार्यालय को पुन: पत्र भेजने का निदेश दिया। साथ ही पटना, गांधीनगर तथा हैदराबाद कार्यालयों द्वारा धारा 3(3) के उल्लंघन पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इन कार्यालयों को भी निदेश दिया जाए ताकि राजभाषा नीति व नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

(कार्रवाईः हिंदी अनुभाग/संबन्धित क्षेत्रीय कार्यालय)

5. बैठक में चर्चा के दौरान, अध्यक्ष महोदय ने राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक तिमाही के आरंभ में ही आयोजित करने को कहा। इस पर उप निदेशक (रा.भा.) ने बताया कि क्षेत्रीय कार्यालयों से तिमाही प्रगति रिपोर्ट काफी विलंब से प्राप्त होती है जिसके कारण तिमाही के आरंभ में बैठक आयोजित करना संभव नहीं हो पाता है। उन्हें यह भी बताया गया कि सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को पत्र लिखकर कहा जाता है कि वे तिमाही रिपोर्ट तिमाही समाप्ति के 10 दिन के अंदर भेज दें परंतु ऐसा नहीं हो पाता और बार-बार अनुस्मारक भेजने के बावजूद भी विलंब से रिपोर्ट प्राप्त

होती है। फिर उन तिमाही रिपोर्टों का संकलन करने में समय लगता है जिसके कारण राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक तिमाही के दूसरे-तीसरे सप्ताह में ही की जा सकती है । इस संबंध में, अध्यक्ष महोदय ने कहा कि सभी अनुभागों तथा क्षेत्रीय कार्यालयों से तिमाही की समाप्ति के बाद के माह की 10 तारीख तक तिमाही रिपोर्ट अवश्य मंगवाई जाए और 15 तारीख के आसपास राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित की जाए। जिन क्षेत्रीय कार्यालयों से समय पर तिमाही रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो उन कार्यालयों को राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में वीडियो कांफ्रेसिंग (वीसी) के माध्यम से बुलाया जाएगा। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि सभी अनुभागों/निदेशालयों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों को पत्र लिखकर निदेश दिया जाए कि राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबन्धित तिमाही रिपोर्ट, तिमाही की समाप्ति के 10 दिन के अंदर केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) को भेजी जाए।

(कार्रवाईः सभी अनुभाग/ सभी क्षेत्रीय कार्यालय)

अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ ही बैठक सम्पन्न हुई।

अनुबंध - 'क'

सदस्य, नदी प्रबंध, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 29 जून, 2020 को पूर्वाह्न 11.00 बजे आयोजित 140 वीं बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची:-

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम सर्वश्री / श्रीमती / कुमारी	
1.	राजेन्द्र कुमार जैन, अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग	अध्यक्ष
2.	आर.के.सिन्हा, सदस्य, नदी प्रबंध	सदस्य
3.	मोती लाल, संयुक्त सचिव, केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य
4.	प्रवीण कुमार, निदेशक, पीसीपी निदेशालय, केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य
5.	निरंजन बर, निदेशक, अभिकल्प एवं अनुसंधान (समन्वय), के.ज.आयोग	सदस्य
6.	एस.के. राजन, निदेशक, तकनीकी समन्वय निदेशालय, केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य
7.	राहुल रणवीर सिंह, निदेशक (प्रशासन),मानव संसाधन प्रबंध, केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य
8.	पंकज कुमार शर्मा, निदेशक, नदी प्रबंध समन्वय निदेशा., केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य
9.	शिशिर कुमार नंदा, निदेशक (स्थापना-1), केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य
10.	राजीव कुमार शर्मा, उप निदेशक, अभि.एवं अनुसंधान सम. निदे. के.ज.आ.	सदस्य
11.	रवि नाथ सिंह, उप निदेशक, जल आयो.एवं परियो. स्कंध, के.ज.आ.	सदस्य
12.	रजिन्दर पाल, उप निदेशक (रा.भा.), केंद्रीय जल आयोग	सदस्य सचिव
13.	छन्नू राम, निजी सचिव, हिंदी अनुभाग, केन्द्रीय जल आयोग	हिन्दी अनुभाग
14.	विनय कुमार मिश्र, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, हिंदी अनुभाग, के.ज.आ.	हिंदी अनुभाग
15.	इंद्रा एस, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी, हिंदी अनुभाग, केन्द्रीय जल आयोग	हिन्दी अनुभाग
16.	रोली श्रीवास्तव, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी,हिंदी अनुभाग, केन्द्रीय जल आयोग	हिन्दी अनुभाग
17.	पुनीत पाण्डेय, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी, हिंदी अनुभाग, केन्द्रीय जल आयोग	हिन्दी अनुभाग